अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 654(अ).— जीवन बीमा निगम साधारण नियम, 1956 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा, जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—

(1) इन नियमों को जीवन बीमा निगम साधारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जीवन बीमा निगम साधारण नियम,1956 में (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित किया गया है), नियम 14 का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 15 का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 16 का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 18 में, उप नियम (ii) में, -

(क) स्पष्टीकरण 1 में, "चौथी अनुसूची भाग II" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण 2 में , "तीसरी अनुसूची से प्रारूप च से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 19 में, "का खंड (क)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 12018/02/2021-बीमा.II]

डॉ. देबाशीष पृष्टी, अतिरिक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सां.वि.आ. 1889क, तारीख 28 अगस्त 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317, तारीख 30 अप्रैल 1958, सा.का.नि 1101, तारीख 8 नवंबर 1958, सा.का.नि 1568, तारीख 23 अक्तूबर 1964, सा.का.नि 1094, तारीख 22 जुलाई 1965, सा.का.नि 1116(अ), तारीख 2 दिसंबर 1988, सा.का.नि 278(अ), तारीख 28 मई 1997, सा.का.नि.474(अ), तारीख 23 जुलाई, 2004, सा.का.नि. 669(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 2, तारीख 3 जनवरी 2012, सा.का.नि.199, तारीख 24 अक्तूबर ,2015, सा.का.नि. 96(अ), तारीख 10 फरवरी, 2020, सा.का.नि. 460(अ) तारीख 30 जून, 2021, सा.का.नि.171(अ), तारीख 3 मार्च, 2022 और सा.का.नि. 59(अ), तारीख 27 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 654(E).— Draft rules to amend the Life Insurance Corporation General Rules, 1956, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement**.—**

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation General (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), rule 14 shall be omitted.

3. In the said rules, rule 15 shall be omitted.

4. In the said rules, rule 16 shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (ii), -

(a) In Explanation 1, the words “Part II of the Fourth Schedule to” shall be omitted;

(b) In Explanation 2, the words “Form F of the Third Schedule to” shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 19, the words and brackets “clause (a) of” shall be omitted.

[F. No. 12018/02/2021-Ins.II]

Dr. DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number S.R.O. 1889A, dated the 28th August, 1956 and were subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 317, dated the 30th April, 1958, G.S.R. 1101, dated the 8th November, 1958, G.S.R. 1568, dated the 23rd October, 1964, G.S.R. 1094, dated the 22nd July, 1965, G.S.R. 1116(E), dated the 2nd December, 1988, G.S.R. 278(E), dated the 28th May, 1997, G.S.R. 474(E), dated the 23rd July, 2004, G.S.R. 669(E), dated the 26th October, 2006, G.S.R. 2, dated the 3rd January, 2012, G.S.R. 199, dated the 24th October, 2015, G.S.R. 96(E), dated the 10th February, 2020, G.S.R. 460 (E), dated the 30th June, 2021, G.S.R. 171 (E), dated the 3rd March, 2022 and G.S.R. 59 (E), dated the 27th January, 2026.